

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/खुली बिक्री/2019/570

दिनांक :- 2/9/19

आदेश


आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पाली के अधीन विभिन्न आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के अधिशेष 46 स्वतंत्र आवासों स्वतंत्र आवासों को मण्डल मुख्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 331 दिनांक 10.07.19 की पालना एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर तथा मुख्य अभियंता-द्वितीय द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निस्तारण किये जाने वाले 46 अधिशेष स्वतंत्र आवासों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	शहर का नाम	योजना का नाम	आय वर्ग	आवासों की संख्या	कुल
1.	पाली	कमला नेहरू नगर	मध्यम आय वर्ग-अ	4/2	01
			उच्च आय वर्ग	3/38, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44	05
		नई भूमि योजना	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	6-ई-15, 6-ई-26	02
2	सुमेरपुर	सुमेरपुर	मध्यम आय वर्ग-ब	1/134, 1/138, 1/143, 1/145	04
3	सिरोही	सिरोही	अल्प आय वर्ग	2-सी-3, 2-सी-4, 2-सी-16, 2-सी-17, 2-बी-113	05
4	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	2/87, 2/98, 2/100, 2/101, 2/112, 2/120, 2/129, 2/134, 2/158, 3/87	10
			मध्यम आय वर्ग-अ	1/57, 1/73, 3/40	03
5	आकराभाटा, आबूरोड	आबूरोड	अल्प आय वर्ग	1-डी-70, 2-डी-48, 2-डी-49, 2-डी-50, 2-डी-53, 2-डी-152	06
			मध्यम आय वर्ग-अ	1-सी-36	01
6	मानपुर आबूरोड	आबूरोड	अल्प आय वर्ग	1-ए-71, 1-ए-117, 1-ए-119, 1-बी-295, 1-बी-301, 1-बी-302, 1-बी-305	07
			मध्यम आय वर्ग-अ	1-ए-66, 1-ए-68	02
				कुल योग	46

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवासों को खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में उल्लेखित निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें :-


1. फलेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फलेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फलेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फलेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फलेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फलेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फलेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा सं. 16/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा० आ०म०, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-पाली, रा०आ०म०, पाली।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक